प्रकरण संख्या 5/2024 अशोक व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बेड़वास, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1792 से 1798 कुल किता 7 रकबा 4.2350 हैक्टर भूमि स्थित होकर राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का 1009/42350 हिस्सा दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 1 से 70 का भी जमाबन्दी में हक व हिस्सा निहित है एवं पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 22.02.2024 को आदेश पारित करते हुए विपक्षीगण को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 5 व 62 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष श्रीमाली उपस्थित हुए, किन्तु बक्त बहस अनुपस्थित रहे। जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये तथा बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये उक्त आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्ती के है। पक्षकारान सहखातेदार हैं तथा एक सहखातेदार पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा एक सहखातेदार को उसके उपर उपभोग से नहीं रोका जा सकता। वादग्रस्त भूमि मौके पर कृषि उपयोग में नहीं आकर मौके पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:02 IST
Reason: SelfAttested

भूखण्ड कटे हुए हैं तथा सभी खातेदार अपने–अपने भूखण्डों पर काबिज हैं, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने वास्तविक स्थिति को छुपाकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (9) 2002 Page 283, RBJ (6) 1999 Page 301, RBJ (3) 1996 Page 504, RBJ (26) 2019 Page 169, RBJ (29) 2022 Page 25, RRT (1) 2003 Page 376 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय नजीरों का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 1792 से 1798 कुल किता 7 रकबा 4.2350 हैक्टर में अपीलान्ट संख्या 1 अशोक कुमार का 70/605 हिस्सा तथा अपीलान्ट संख्या 2 सालिगराम प्रेमसुख एण्ड कम्पनी का 5157/42350 हिस्सा दर्ज है तथा स्वयं रेस्पोन्डेन्ट ने अपने अस्थायी निषेधाज्ञाा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 70 की सहखातेदारी की होने का कथन अंकित करते हुए उसी अनुसार उपयोग–उपभोग करने का कथन किया है। पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद अभी विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अविभाजित भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज सहखातेदारों को बिना सुने उनके विरूद्ध अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 20/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:02 IST
Reason: SelfAttested